

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना संख्या. 5/2019- एकीकृत कर (दर)**

नयी दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2019

सा.का.नि.....(अ) - केंद्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 28 जून, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 6क और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा : -

(1)	(2)	(3)	(4)
6ख	किसी प्रमोटर के द्वारा किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिये किसी व्यक्ति द्वारा 'डेवलपमेंट राइट' या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स समेत) के अकन्तर्न के माध्यम से आपूर्ति की गयी सेवाएँ	कोई भी व्यक्ति	प्रमोटर;
6ग	किसी प्रमोटर के द्वारा किए जाने वाले किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिए अप्रकंट राशि (जिसे	कोई भी व्यक्ति	प्रमोटर;

	<p>प्रीमियम, सलामी कास्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो ) और/ या आवधिक किराया के रूप में प्रतिफल के एवज में किसी व्यक्ति के द्वारा भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर (30 वर्ष या इससे अधिक ) दिया जाना</p>		
--	---	--	--

(ii) स्पष्टीकरण में , उपवाक्य (ज) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंतस्थापित किया जाएगा , याथा :-

“(झ) “अपार्टमेंट” शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ड) में दिया गया हो।

(ञ) “प्रमोटर” शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ट) “प्रोजेक्ट” से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है ।

(ठ) “रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)” का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

(ड) “रेजीडेंशियल रीयल एस्टेटप्रोजेक्ट) RREP)” का अभिप्रायः उसरीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(ढ) “फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)” से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।” ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी ।

[फा. सं०.354/32/2019 -टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं० 10/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून 2017, सांका०नि० 685 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 30/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2018, सांका०नि० 1277 (अ) दिनांक 31 दिसंबर, 2018 के तहत संशोधन किया गया था।